राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(2)राज/वाद/24पार्ट–A   जयपुर, दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षर

:: **आदेश** ::

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.26 के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 8 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, डीग, सलूम्बर तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1 ब्यावर, सं0 1 कोटपूतली को अपने–अपने राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण के रूप में गठित किया गया हैं।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.26 के क्रम में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, डीग, सलूम्बर तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1 ब्यावर, सं0 1 कोटपूतली में राज्य की ओर से पैरवीरत संबंधित लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ठ लोक अभियोजक की शक्तियां एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 रजिस्ट्रार, जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4 रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
6 वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि।
8 निजी सचिव, शासन सचिव, गृह(विधि) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9 महानिदेशक, पुलिस/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10 जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, फलौदी, डीडवाना–कुचामन, खैरथल–तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, डीग, कोटपूतली–बहरोड़, सलूम्बर।
11 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12 संबंधित अभियोजक।
13 सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15 रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, विधि

Document certified by RAGHAVENDRA KACHAWAL <kachawal@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAGHAVENDRA KACHAWAL
Designation : Principal Secretary To Government
Date :03-02-2026 06:13:45

RajKaj Ref No.: 20274123
eSign DSC